

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण  
महानगर दूरसंचार भवन, जेएल नेहरू मार्ग,  
(ओल्ड मिंटो रोड) जाकिर हुसैन कॉलेज के पास,  
नई दिल्ली 110 002

क्रमांक. ए-25/4/(6)/2021-एपी

दिनांक: 17.12.2021

**भादूविप्रा मुख्यालय, नई दिल्ली में सलाहकारों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन**

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (भादूविप्रा), नई दिल्ली संसद के एक अधिनियम अर्थात् भादूविप्रा अधिनियम, 1997 के तहत स्थापित वैधानिक निकाय है। भादूविप्रा की स्थापना दूरसंचार सेवाओं को विनियमित करने और दूरसंचार क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने, दूरसंचार क्षेत्र के व्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सुनिश्चित करने के लिए और उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक मामलों के लिए की गई है। प्रसारण और केबल सेवा क्षेत्रों के विनियमन से संबंधित कार्य भी 2004 से भादूविप्रा को सौंपे गए हैं।

2. भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण में अनुबंध के आधार पर प्रत्येक रिक्ति के सामने उल्लिखित समेकित पारिश्रमिक पर निम्नलिखित को भरने के लिए पात्र भारतीय नागरिकों से आवेदन रिक्तियों को आमंत्रित किया जाता है। नियुक्ति की अवधि, शैक्षिक योग्यता, अनुभव, आयु, कर्तव्यों की प्रकृति आदि के बारे में विवरण निम्नानुसार है:

(क) वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	सूची	विवरण
एफ एंड ईए (आईएफए यूनिट)	पद का नाम	सलाहकार (गैर-तकनीकी) - ग्रेड- II
[पोस्ट कोड: 001]	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	रु.65,000/- (निश्चित) प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	01 वर्ष

	आयु सीमा	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम।
	शैक्षिक योग्यता	वाणिज्य/अर्थशास्त्र में मास्टर्स / बैचलर डिग्री। वांछनीय: एसएस योग्य।
	योग्यता के बाद का अनुभव	केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग/ सीपीएसयू/स्वायत्त निकायों में अवर सचिव/ एजीएम/अनुभाग अधिकारी के रूप में 3 वर्ष के लेखा/वित्त/लेखापरीक्षा/स्थापना संबंधी कार्य में न्यूनतम 10 वर्ष
	कर्तव्यों का प्रकार	प्राधिकरण द्वारा वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन और विषय वस्तु पर मौजूदा दिशानिर्देशों के संदर्भ में व्यय से जुड़े सभी मामलों की जांच। बजट, अनुदान और पेंशन योगदान से संबंधित मामलों का प्रेषण। प्रस्तावों की जांच /आरएफपी /निविदा दस्तावेज की जांच, अनुबंध दस्तावेज, जीएफआर का संदर्भ, खरीद नियमावली का अनुपालन आदि।

(ख) अंतरराष्ट्रीय संबंधों (आईआर) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण
आईआर [पोस्ट कोड: 002]	पद का नाम	सलाहकार (गैर-तकनीकी) - ग्रेड - II
	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	रु. 65,000/- (स्थिर) प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए

		(भादूविप्रा की आवश्यकता और पेशेवर के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है)
	आयु सीमा	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम।
	शैक्षिक योग्यता	ग्रेजुएट
	योग्यता के बाद का अनुभव	वर्ल्ड बैंक, आईटीयू, विश्व व्यापार संगठन, एपीटी, आसियान, ब्रिक्स आदि जैसे संगठनों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग / अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित मामलों से निपटने में प्रासंगिक अनुभव रखने वाले अवर सचिव / एजीएम / 03 वर्षों अनुभाग अधिकारी का अनुभव रखने वाले की आवश्यकता है। बोलने और लिखने दोनों में अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होना जरूरी है। एमओयू (समझौता ज्ञापन) / एलओ आइ (आशय पत्र) जैसे अंतर्राष्ट्रीय द्विपक्षीय समझौतों का मसौदा तैयार करने का अनुभव वांछनीय है। नियामक निकाय में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग/अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में कार्य करने का अनुभव वांछनीय है।
	कर्तव्यों का प्रकार	आईटीयू, एपीटी, आसियान, ब्रिक्स, बीईआरईसी, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड बैंक आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय नियामकों से संबंधित विशिष्ट गतिविधियों को संभालना जिनके साथ भादूविप्रा द्विपक्षीय संबंध रखता है।

(ग) वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण (एफ एंड ईए) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण

एफ एंड ईए [पोस्ट कोड: 003]	पद का नाम	वरिष्ठ सलाहकार या सलाहकार (तकनीकी) - ग्रेड - II
	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	वरिष्ठ सलाहकार: - रु 1,50,000/- प्रति माह सलाहकार (तकनीकी) ग्रेड- II:- 1,00,000/- प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए (भादूविप्रा की आवश्यकता और पेशेवर के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है)
	आयु सीमा	(i) सलाहकार (तकनीकी) ग्रेड- II: - आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 60 वर्ष से कम। (ii) वरिष्ठ सलाहकार:- आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम।
	शैक्षिक योग्यता	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र / वित्त में मास्टर या स्नातक की डिग्री या समकक्ष। (ii) व्यावसायिक योग्यता(ओं) जैसे चार्टर्ड एकाउंटेंट्स / कॉस्ट अकाउंट / एलसीडब्ल्यूए / कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट्स / चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट / मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन फाइनेंस / मास्टर ऑफ कॉमर्स / इकोनॉमिक्स।
	योग्यता के बाद का अनुभव	i. सलाहकार (तकनीकी) ग्रेड- II - 8-20 वर्ष iii. वरिष्ठ सलाहकार - 20 वर्ष और उससे अधिक वांछनीय (i) दूरसंचार में काम करने का अनुभव।

		<p>निम्नलिखित में से किसी भी प्रासंगिक क्षेत्र में विषय और कार्य अनुभव की वैज्ञानिक समझ रखने वाले व्यक्तियों को वरीयता दी जाएगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• दूरसंचार सेवाओं का मूल्य निर्धारण</li> <li>• लागत संरचना</li> <li>• लागत लाभ विश्लेषण</li> <li>• नीति के आर्थिक प्रभावों का पूर्वानुमान और विश्लेषण</li> <li>• स्पेक्ट्रम नीलामी सिद्धांत और तकनीकें</li> <li>• लागत लेखांकन सिद्धांत</li> </ul>
	कर्तव्यों का प्रकार	<p>बाजार के आंकड़ों का वित्तीय और आर्थिक विश्लेषण करना। भारत में विभिन्न दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीतियों/विनियमों के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण को इनपुट देना। लागत-आधारित प्रभारों के निर्धारण से संबंधित मामलों को संभालना। लागत लाभ विश्लेषण, जोखिम विश्लेषण और नियामक प्रभाव विश्लेषण करना। नीति के वित्तीय/आर्थिक प्रभावों का पूर्वानुमान और विश्लेषण करना। स्पेक्ट्रम की लागत/मूल्यांकन के लिए आर्थिक या वित्तीय या तकनीकी मॉडल का विकास करना। स्पेक्ट्रम नीलामी परिणामों का विश्लेषण, बोली कार्यनीतियों का विश्लेषण। समय-समय पर सौंपा गया कोई अन्य कार्य करना।</p>

(घ) प्रौद्योगिकी विकास इकाई (आईटी विभाग) के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण
टीडी [पोस्ट कोड: 004]	पद का नाम	युवा पेशेवर (तकनीकी)

आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
पारिश्रमिक	रु.65,000/- (स्थिर) प्रति माह
समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए (भादूविप्रा की आवश्यकता और पेशेवर के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है)
आयु सीमा	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर 32 वर्ष से कम।
शैक्षिक योग्यता	कंप्यूटर साइंस/इलेक्ट्रॉनिक्स /आईटी / दूरसंचार में मास्टर्स इन टेक्नोलॉजी/ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी/ बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग
योग्यता के बाद का अनुभव	0-3 वर्ष वांछनीय:- इलेक्ट्रॉनिक्स/टेलीकॉम/ब्रॉडकास्टिंग/आईटी में अनुभव
कर्तव्यों का प्रकार	(i) नई दूरसंचार प्रसारण, आईटी और अभिसरण प्रौद्योगिकी के लिए अनुसंधान और विकास (आर एंड डी)। (ii) सलाहकार को दूरसंचार, प्रसारण, आईटी और अभिसरण प्रौद्योगिकी के लिए प्रौद्योगिकियों और नीतियों पर अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं को पूरा करना चाहिए। (iii) सलाहकार "दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्रों में स्वदेशी अनुसंधान एवं विकास की सुविधा" और " ग्रीन टेलीकॉम " पर मसौदा परामर्श पत्र तैयार करने के लिए इनपुट देगा।

(ड़) प्रसारण और केबल सेवाओं (बी एंड सीएस-1) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण
बी एंड सीएस-1 [पोस्ट कोड: 005]	पद का नाम	वरिष्ठ सलाहकार
	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	रु.1,50,000/- प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	आठ महीने
	आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम आयु।
	शैक्षिक योग्यता	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन/इकोनॉमिक्स/कॉमर्स/इंजीनियरिंग/साइंस/लॉ में मास्टर/बैचलर डिग्री या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया/इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की सदस्यता।
	योग्यता के बाद का अनुभव	केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों से सेवानिवृत्त अधिकारी के पास अर्थशास्त्र/वित्त मुद्दों में काम करने का कम से कम 20 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में एजीएम/एडीजी या उससे ऊपर के पद के समकक्ष पद पर 7वें सीपीसी या समकक्ष वेतनमान के तहत पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर 12 या उससे अधिक में काम किया हो।
	कर्तव्यों का प्रकार	प्रसारण क्षेत्र के मौजूदा बाजार परिदृश्य का आकलन। टेलीविजन, रेडियो और प्रिंट जैसे विभिन्न मीडिया की खपत पर डेटा का संग्रह और विश्लेषण। प्रसारकों और वितरण संस्थाओं के बीच लंबवत एकीकरण से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण। क्षैतिज एकीकरण से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण।

		केबल टीवी क्षेत्र की बाजार हिस्सेदारी पर डेटा का संग्रह और विश्लेषण। अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं का अध्ययन। विधिक मुद्दों का अध्ययन। परामर्श के लिए मुद्दों की पहचान करना। परामर्श पत्र तैयार करने में सहायता करना। परामर्श पत्रों पर प्राप्त टिप्पणियों का विश्लेषण। सिफारिशों का निरूपण। कोई अन्य संबंधित कार्य।
--	--	--

(च) प्रसारण और केबल सेवाओं (बी एंड सीएस-II) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण
बी एंड सीएस-II [पोस्ट कोड: 006]	पद का नाम	सलाहकार (तकनीकी) - ग्रेड- I
	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	रु. 80,000/- प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	प्रारंभ में 01 वर्ष के लिए (भादूविप्रा की आवश्यकता और पेशेवर के प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकता है)
	आयु सीमा	आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 45 वर्ष से कम।
	शैक्षिक योग्यता	ग्रेजुएट



योग्यता के बाद का अनुभव	सरकारी परियोजनाओं विशेष रूप से आईटी परियोजनाओं को संभालने में 8 साल का अनुभव या सरकारी विभागों/नियामकों में वित्त / प्रशासन / विनियमों का उचित अनुभव।
कर्तव्यों का प्रकार	बीआईपीएस पोर्टल से संबंधित सभी मुद्दों को संभालना। बीआईपीएस पोर्टल के विकास के लिए आईटी और बी एंड सीएस-1 विभाग के साथ समन्वय करना। बीआईपीएस पोर्टल पर फाइलिंग करते समय विभिन्न सेवा प्रदाताओं द्वारा सामना की जाने वाली शिकायतों और मुद्दों का समाधान करना। आवश्यकतानुसार सूचना/डेटा को समय पर दाखिल करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ समन्वय स्थापित करना। रजिस्टर विनियम के अनुपालन की निगरानी। सेवा प्रदाताओं से प्राप्त जानकारी/डेटा का रखरखाव और उसे सक्षम प्राधिकारी को अद्यतन करना। समय-समय पर बी एंड सीएस विभाग द्वारा आवश्यक विभिन्न रिपोर्ट तैयार करने के लिए आईटी विभाग के साथ समन्वय करना। बीआईपीएस पोर्टल से संबंधित कोई अन्य कार्य करना।

(छ) ब्रॉड बैंड और नीति विश्लेषण (बीबी एंड पीए) विभाग के लिए सलाहकार

विभाग का नाम	विवरण	विवरण
बीबी और पीए [पोस्ट कोड: 007]	पद का नाम	वरिष्ठ सलाहकार
	आवश्यक सलाहकारों की संख्या	01
	पारिश्रमिक	रु.1,50,000/- प्रति माह
	समय सीमा जिसके लिए सलाहकार को नियुक्त किया जाना है	सलाहकार की नियुक्ति की तारीख से 6 महीने।
	आयु सीमा	आवेदन की अंतिम तिथि को 65 वर्ष से कम आयु।
	शैक्षिक योग्यता	शीर्ष संस्थानों से व्यवसाय प्रशासन / अर्थशास्त्र / वाणिज्य / इंजीनियरिंग / विज्ञान / कानून में मास्टर / बैचलर डिग्री।

	योग्यता के बाद का अनुभव	अधिमानत: आईसीटी क्षेत्र में 20 वर्षों का अपेक्षित कार्य अनुभव। उपकरण निर्माण से संबंधित क्षेत्र में भी कार्य किया हो।
	कर्तव्यों का प्रकार	<p>उपग्रह संचार के लिए उपकरण, क्षेत्र के नवीकरण ऊर्जा उपयोग सहित दूरसंचार उपकरण निर्माण क्षेत्र के मौजूदा बाजार परिदृश्य का आकलन। दूरसंचार क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न उपकरणों की खपत पर डेटा का संग्रह और विश्लेषण। स्थानीय उपकरणों के बाजार हिस्से पर डेटा का संग्रह और विश्लेषण। तकनीकी विनिर्देश, गुणवत्ता संबंधी चिंताओं, सुरक्षा चिंताओं, परीक्षण और प्रमाणन, लागत प्रतिस्पर्धात्मकता संबंधी चिंताओं, बुनियादी ढांचे से संबंधित चिंताओं सहित भारत में दूरसंचार उपकरणों के निर्माण से संबंधित चुनौतियों का अध्ययन और आकलन। स्थानीय निर्मित उपकरणों के लिए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच चुनौतियों का अध्ययन। मांग के अनुसार मापनीयता पर आकलन, क्या मांग बढ़ने पर हमारे पास पैमाना बनाने की क्षमता है या नहीं। दूरसंचार विनिर्माण क्षेत्र में वित्तीय मुद्दों में सुधार के लिए नीतिगत हस्तक्षेपों का अध्ययन और सुझाव देना। अंतर्राष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं का अध्ययन। कानूनी मुद्दों का अध्ययन करना और नीतिगत हस्तक्षेपों का सुझाव देना। कराधान के मुद्दों का अध्ययन और करों और लेवी के युक्तिकरण और ऐसे उपकरणों के निर्माण, उत्पादन और आयात पर नीतिगत हस्तक्षेप का सुझाव देना। स्थानीय विनिर्माण और मूल्य संवर्धन से संबंधित राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति (एनडीसीपी) 2018 के खंड 2.5 में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक मुद्दों और नीतिगत पहलों की पहचान करना। परामर्श पत्र तैयार करने में सहायता करना। परामर्श पत्रों पर प्राप्त</p>

		टिप्पणियों का विश्लेषण और सिफारिशों को तैयार करना।
--	--	--

3. उनकी सेवाएं भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के आदेश संख्या 10-01/2020-ए एंड पी दिनांक 12 मार्च, 2021 (प्रतिलिपि संलग्न) के अनुसार शासित होंगी।

4. भादविप्रा में वरिष्ठ सलाहकार, सलाहकार (गैर-तकनीकी)-ग्रेड-II और और सलाहकार (तकनीकी)-ग्रेड-II पद के लिए विचार किए जाने के इच्छुक योग्य उम्मीदवार अपना आवेदन प्रारूप (अनुलग्नक-I) के अनुसार आवेदित पद का अधिलेखन पत्र संलग्न करके भेज सकते हैं और सलाहकार (तकनीकी) - ग्रेड -1 और युवा पेशेवर (तकनीकी) पद के लिए विचार किए जाने के इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन प्रारूप (अनुलग्नक-II) के अनुसार आवेदित पद का अधिलेखन पत्र संलग्न करें और एक लिफाफे में वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी), भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, महानगर दूरसंचार भवन, जेएल नेहरू मार्ग (ओल्ड मिंटो रोड), जाकिर हुसैन कॉलेज के बगल में, नई दिल्ली- 110002 को नियत तिथि 27 जनवरी, 2022 तक भेज सकते हैं।

(विनय कुमार गोयल)

वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी (ए एंड पी)

दूरभाष. 011-23364213


आंतरिक प्रचालन सूचना के लिए:

1. ओएसडी, अध्यक्ष के कार्यालय, भादूविप्रा
2. वरिष्ठ प्र.नि.स. - सदस्य (एमजी), भादूविप्रा
3. वरिष्ठ प्र.नि.स. - सचिव, भादूविप्रा
4. सभी प्रधान सलाहकार/सलाहकार [मुख्यालय] और [आरओ], भादूविप्रा।
5. उप सलाहकार (आईटी) - कृपया परिपत्र को भादूविप्रा की वेबसाइट पर अपलोड करें।
6. नोटिस बोर्ड।

## अनुलग्नक-1

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, मुख्यालय, नई दिल्ली में वरिष्ठ सलाहकार/सलाहकार (गैर-तकनीकी)-ग्रेड-II /सलाहकार (तकनीकी)-ग्रेड-II के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन प्रपत्र

(तस्वीर संलग्न करें)



1. जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम: .....  
विभाग ..... पोस्ट कोड .....
2. आवेदक का नाम: .....
3. जन्म तिथि: .....
4. राष्ट्रीयता: .....
5. श्रेणी (सामान्य/अ.जा./ओबीसी/अ.ज.जा.): .....

(यदि एससी/एसटीआईओबीसी से संबंधित है, तो दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा)

6. (पत्राचार) के लिए पता .....  
.....  
.....
7. संपर्क संख्या और ईमेल आईडी: .....
8. सेवानिवृत्ति की तिथि: .....
9. संगठन का नाम जहां से सेवानिवृत्त हुए हैं (पीपीओ की प्रति संलग्न करें) .....
10. केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभागों/पीएसयू/नियामक निकाय/स्वायत्त निकाय में कार्य अनुभव के वर्षों की संख्या (सबूत संलग्न करें): .....
11. नियामक निकाय में कार्य अनुभव के वर्षों की संख्या (सबूत संलग्न करें) .....
12. स्नातक के आगे शैक्षिक योग्यता का विवरण (डिग्री/उत्तीर्ण होने का वर्ष/विभाग/अंक) .....
13. प्रवीणता के साथ जानी जाने वाली भाषाएँ: .....
14. क्या वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं। यदि हाँ, तो क्या नौकरी सरकारी/पीएसयू/स्वायत्त /निजी संस्थान में है: .....
15. क्या स्थायी/अस्थायी/अनुबंध पर है : .....
16. नियोजन का विवरण दें:

(अगर स्थान पर्याप्त नहीं है तो अलग शीट संलग्न करें)

धारित पद	से	तक	वेतनमान/मूल्य वेतन	कार्यों की प्रकृति (संक्षिप्त में)

17. वेतनमान/आखिरी वेतन आहरित: .....

18. कोई अन्य जानकारी: .....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान:


दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

## अनुलग्नक -II

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, नई दिल्ली में संविदा के आधार पर पद सलाहकार (तकनीक) - ग्रेड-I/ युवा पेशेवर (तकनीकी) के लिए आवेदन का प्रारूप।

(तस्वीर संलग्न करें)



1. जिस पद के लिए आवेदन किया गया है उसका नाम	
2. विभाग का नाम और पोस्ट कोड	
3. उम्मीदवार का नाम	
4. पिता का नाम	
5. जन्म तिथि (उम्र के प्रमाण की सत्यापित प्रति संलग्न की जाए)	
6. क्या अ.जा./अ.ज.जा./ ओ बी सी से संबंधित है (यदि हां, तो दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए)	
7. राष्ट्रियता	
8. पत्राचार का पता	
9. स्थायी पता	
10. संपर्क विवरण	
(i) मोबाइल नंबर:	
(ii) आवासीय टेलीफोन / मोबाइल:	
(iii) ईमेल:	

11.(ए) शैक्षणिक योग्यताएं:

परीक्षा उत्तीर्ण	उत्तीर्ण होने का वर्ष	स्कूल/कॉलेज	बोर्ड/विश्वविद्यालय	मुख्य विषय	अंकों / ग्रेड का %	टिप्पणियां
10वीं						
12वीं						
डिग्री						
पीजी						
अन्य						

बी) व्यावसायिक/तकनीकी/अतिरिक्त योग्यताएं:

प्रोफेशनल कोर्स का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	संस्था का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय	मुख्य विषय	अंकों / ग्रेड का %	टिप्पणियां

12. संबंधित क्षेत्र में कार्य अनुभव:

नियोक्ता का नाम और पता	सेवा की अवधि		धारित पद	वेतनमान/ कुल परिलब्धियां	सेवा की कुल अवधि	कार्यों एवं जिम्मेदारियों की प्रकृति
	से	तक				

13. अतिरिक्त जानकारी

कंप्यूटर में दक्षता	
विद्या संबंधी पदवियां (विशेष उपलब्धियां), यदि कोई हो	
तकनीकी कौशल	
इंटरशिप / कार्य अनुभव (पूर्णकालिक / अंशकालिक)	
प्रमुख परियोजनाएं/प्रस्तुति	
पाठ्येतर उपलब्धियां	
पद के लिए आपकी उपयुक्तता के समर्थन में अतिरिक्त जानकारी	

मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।

स्थान:

दिनांक:

(आवेदक के हस्ताक्षर)

नोट: कसी भी वसंगति के मामले में, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा



F. No. 10-01/2020-A&P**TELECOM REGULATORY AUTHORITY OF INDIA**

Mahanagar Doorsanchar Bhawan, J.L. Nehru Marg (Old Minto Road)  
Next to Zakir Husain College, New Delhi -110002

Dated: 12<sup>th</sup> March, 2021

**Guidelines for Hiring of Consultants on contract basis in Telecom Regulatory Authority of India.**

The appointment of Consultants in TRAI is covered under Rule 5 of TRAI (Salary, Allowances and other conditions of Service of the officers and employees) Rules, 2002 dated 25<sup>th</sup> October, 2002 issued by Govt. of India, Ministry of Communications and IT, Department of Telecom. Part VI of the TRAI (Officers and Staff Appointment) Regulations, 2001 dated 15<sup>th</sup> Feb 2001 also provides for contract Appointment. To bring greater clarity, flexibility, transparency and uniformity in the engagement, the following guidelines and procedures are prescribed for engagement of Consultants/Senior Consultants in the Telecom Regulatory Authority of India, in suppression of the 'Guidelines for Hiring of Consultants on contract basis' in the Telecom Regulatory Authority of India issued vide letter No. 10-2/2006-A&P dated 06.06.2008.

**1 Rationale:**

1.1 Telecom Regulatory Authority of India (TRAI), New Delhi is a statutory body set up under an Act of Parliament viz., Telecom Regulatory Authority of India Act (TRAI), 1997. **TRAI has been established with an objective to regulate the Telecommunications Services, to protect the interest of service providers and consumers of the telecom sector, provide a fair and transparent policy environment which promotes a level playing field and facilitates fair competition, thus ensuring orderly growth of the telecom sector.** The functions relating to regulation of Broadcasting and Cable Services Sectors have also been entrusted to TRAI from the year 2004. The Authority, while performing its functions assigned under the Act, requires inputs and support on certain areas in which it does not have enough in-house expertise or manpower. Thus, it requires to hire Consultants or Senior Consultants who possess the requisite skill.

1.2 The consultants can be hired in cases where there is:

- i) inadequacy of Capability or Capacity of required expertise in-house;
- ii) a need to have qualified consultant for providing a specialized high quality service;
- iii) a need for expert advice from a consultant acting independently from any affiliation, economic or otherwise to avoid conflicts of interest;
- iv) a need for transfer of knowledge/training/capacity and capability building as a by-product of such engagement;
- v) a need to acquire information about/identifying and implementing new methods and systems;
- vi) a need for planning and implementing organizational change;
- vii) internal capacity/capability available to do the job but there are considerations of economy, speed and efficiency in relation to additional requirement/commitment/usage of -
  - a) Staff/Management/Organization;
  - b) Technological and Material Resources;
  - c) Money and
  - d) Time/Speed of execution.

TRAI may hire Individual Consultants in two broad categories- Technical and Non-Technical.

*idutta -*

(2)

**2. Contractual Terms and conditions:****2.1 Legal Status:**

The Individual Consultant shall have the legal status of an independent Consultant vis-a-vis the Telecom Regulatory Authority of India and shall not be regarded, for any purpose, as being staff member or an official of TRAI. As such nothing within or relating to the contract shall establish the relationship of employer and employee between the Telecom Regulatory Authority of India and the Individual Consultant.

**2.2 Standards of conduct:**

Individual Consultant shall neither seek nor accept instructions from any authority external to the TRAI in connection with the performance of its obligations under the contract. The Individual Consultant shall not take any action in respect of its performance or otherwise related to its obligations under the contract that may adversely affect the interest of the regulatory body. The Consultant shall fulfill his obligations with the full regard to the interest of TRAI. The Individual Consultant shall comply with all laws, ordinances, rules, and regulations bearing upon the performance of obligations under the Contract. In the performance of the contract, the Individual Consultant shall comply with the expected standards of conduct. Failure to comply with the same shall be ground for the termination of the contract.

**2.3 Assignment of Duties:**

The Individual Consultant shall perform the duties assigned to him. The Competent Authority reserves the right to assign any duty as and when required. No extra/ additional allowance shall be admissible in case of such additional assignment.

**2.4 Provision of Sexual Exploitation and abuse:**

In the performance of the contract, the Individual Consultant shall comply with the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. The Individual Consultant acknowledges and agrees that any breach of the provisions thereof shall constitute a breach of an essential term of the contract and in addition to any other legal right or remedies available to any person, shall give rise to a ground for termination of the contract. If required, further appropriate legal action may also be recommended.

**2.5 Medical Clearance and service incurred Death and Grievous injury:** TRAI may require the Individual Consultants to submit a Good Health Certificate from a registered Physician at the time of joining duties. In the event of death or grievous injury to the Individual Consultant during the course of his/her duties, compensation shall not be payable to the individual Consultant or his/her dependents. It is desired that the Individual Consultants take out and maintain adequate insurance required to meet their obligations from own responsibility.

**2.6 Basic Support Facility -** Basic support like office space, furniture, stationery, computer, laptop, calculator, access to Internet etc. may be provided to the Individual Consultant where needed by the TRAI so that assigned duties may be handled smoothly. Any equipment and supplies provided to the individual Consultants and any damage or degradation occurred to the equipment at the time of return beyond normal wear and tear, shall be administered as per extant rules.

**2.7 Confidentiality of Documents & Information-** The Individual Consultant would be subject to the provisions of the Indian Official Secrets Act, 1923. They shall not use the name, emblem, or official seal of TRAI for any commercial purpose other than discharging assigned duties. The Consultant shall sign an agreement of confidentiality.

*Signature*

(3)

2.8 Settlement of Disputes - TRAI and the Individual Consultant shall use their best efforts to amicably settle any dispute, controversy or claim arising out of the Contract or the breach, termination or invalidity thereof. Any dispute, controversy or claim between the parties arising out of the Contract or the breach, termination, or invalidity thereof unless settled amicably, as provided above, shall be referred by either of the parties to the Chairperson, TRAI for arbitration. The Chairperson, TRAI may appoint an arbitrator for the settlement of the controversy.

2.9 Conflict of interest-The Individual Consultants are expected to follow all the rules and regulations of the Telecom Regulatory Authority of India/Government of India which are in force. He/she is also expected to display utmost honesty, secrecy of office and sincerity while discharging his/her duties. In case the services of the Individual Consultants are not found satisfactory or found in conflict with the interests of TRAI, his/her services will be liable for discontinuation without assigning any reason.

2.10 Termination -The Telecom Regulatory of India can terminate the contract at any time without prior notice and without providing any reason thereto. However, in the normal course it will provide one month's notice to the Individual Consultant. The Individual Consultant can also seek for termination of the contract upon giving one month's notice to TRAI.

2.11 Residuary matters- In regard to matters not specifically covered by or under these guidelines, the terms and conditions given in the Manual for Procurement of Consultancy and Other Services 2017 as well as GFR 2017 issued by M/o Finance, Department of Expenditure will be applicable.

3. **Term of Reference:** -Heads of Divisions shall be responsible for ensuring that detailed terms of reference describing the work to be performed are prepared well in advance of the engagement of Consultant and submit it as Annexure in a timely manner to the Administration Division for processing. The terms of reference are mandatory and shall form part of the individual contract. The terms of reference shall include the outputs to be delivered and the functions to be performed. The outputs and functions shall be specific, measurable, attainable, result-oriented and time bound.

#### 4. General Terms & Conditions:

4.1 Term of appointment -Individual Consultants will be hired for a fixed period initially not exceeding one year which is extendable another one year. Beyond two years, where adequate justification exists, the term may be extended based on a review of task and performance of the appointee provided it shall not be extended beyond 05 years after superannuation.

4.2 Professionals with requisite qualification and experience as prescribed for different positions will be hired as Individual Consultants.

#### 5 Educational Qualification and Experience:

5.1 Educational Qualification: Specific educational qualification/experience may be prescribed as per actual requirement of particular positions.

*Indira*

(4)

## 5.2 Experience, age and remuneration:

Name of the Position (Technical /Non Technical)	Post Qualification experience in -Years	Upper age limit** in years	Monthly Remuneration <sup>\$</sup>
Consultant (non- tech) Grade -I/ Young professional (non-tech)	03 years as Asstt. / PA	65	50,000/- (Fixed)
Consultant (non-tech) Grade II	Under Secretary /AGM / 03 years as Section Officer	65	65,000/- (Fixed)
Young Professional (Tech)	0-3	32	65,000/- (Fixed)
Consultant (Tech) Grade -I	3-8	45	80,000/- 1,00,000
Consultant (Tech) Grade -II	8-20	60	1,00,000-1,50,000
Sr. Consultant	20 years and above	65	1,50,000-2,20,000

\*\*Note 1: In general Consultant will not be allowed to serve beyond the maximum age of 65 years.

\$ Note 2: In case of retired Government Servants, the remuneration will be computed and restricted with reference to the Government of India directions issued in this regard from time to time.

## 6 Selection Process:

6.1 The selection of Consultants shall be made in accordance with the provisions included in GFR, 2017 under rules 177-196 and as per relevant paras of the Manual for Procurement of Consultancy and Other Services 2017.

6.2 The requirement of professionals for the Telecom Regulatory Authority will be advertised as and when needed on its Website and in at least one National Newspaper (both in Hindi and English) and employment news.

6.3 The applications received against the advertised positions shall be screened and shortlisted by a panel consisting of Sr. Research Officer (A&P), Section Officer (A&P) and any other person nominated by Advisor (Admn). The shortlisted applications shall be placed before the Selection Committee(s) to be constituted from time to time for different advertised consultant posts.

6.4 The Selection Committee may devise its own method for selection of suitable candidates as per requirement. The Selection Committee may also recommend names for keeping in wait list with valid time period.

6.5 The TRAI may also adhere to rule 194 of GFR for hiring Consultants from established Research Organizations. In exceptional cases, individuals may be hired on secondment basis from Private institutions/Organizations with the approval of the Chairperson, TRAI.

## 7 Payment of Remuneration:

7.1 The consolidated remuneration as indicated in para 5.2 will include applicable taxes and no other allowances will be paid. In case of retirees, the consolidated remuneration will be arrived at by deducting the basic pension from the pay drawn at the time of retirement. The amount of remuneration so fixed shall remain unchanged for the terms of the contract. There will be no annual increment /percentage increase during the contract period.

*Sanjiv ..*

(5)

7.2 The payment of consolidated pay will be released by the TRAI within one week after completion of the month based on the Biometric Attendance/ Physical Attendance to be verified by the concerned Divisional Heads.

7.3 No increment and Dearness Allowance shall be allowed during the term of contract.

7.4 House Rent Allowance: No HRA shall be admissible


8. **Transport Allowance & TA/DA:** An appropriate and fixed amount as Transport Allowance for the purpose of commuting between the residence and the place of work shall be allowed not exceeding the rate applicable to the appointee at the time of retirement. The amount so fixed shall remain unchanged during the term of appointment. Young Professional (Non-tech), Young Professionals (Tech), Consultant- Gr-I, Consultant- Gr. II and Sr. Consultant shall be allowed transport allowance as admissible to Assistants, Technical Officer, SRO, Dy. Advisor and Jt. Advisor, respectively in TRAI. Retired employees engaged as consultants may be allowed TA /DA on official tour, if any, as per their entitlement at the time of retirement subject to upper Limit of entitlements as admissible to Jt. Advisor in TRAI. Consultant (Tech) Gr. II shall be entitled for TA /DA as admissible to Dy. Advisor in TRAI and Sr. Consultant shall be entitled for TA/DA as admissible to Jt. Advisor in TRAI.

9. **Leave:** - The Individual Consultants shall be eligible for paid leave of absence @ 1.5 day for each completed month of service besides the Gazetted holidays. Accumulation of leave beyond a calendar year will not be allowed. "No work no pay" will be applicable during the period of contract, if more than prescribed leave is taken.

10. **Tax Deduction at Source:** - The income tax or any other tax liable to be deducted as per prevailing rules will be deducted at Source before releasing the payment and the Department will issue TDS certificate/GST as the case may be. TRAI takes no liability for taxes or other contribution payable by the Individual Consultant on payment made under the contract.

11. **Authenticity:** -If any declaration given or information furnished by Consultant proves to be false or if he/she is found to have willfully suppressed any material information, he/she will be liable for removal from such contract and also such other action as the Government may deem necessary.

12. **Relaxation:** - Where Chairperson, TRAI is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of the guidelines.



(S.K. Dutta)  
Jt. Advisor (Coord & HR))